दूरभाष– 2286709
2286710
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

पत्रांकः3653/76/एक/ABMBVY/2016-17 दिनांक–26 दिसम्बर, 2017

परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
समस्त जनपद।

अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों/मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं का सृजन योजनान्तर्गत शासन द्वारा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से पूर्व में स्वीकृत की गयी परियोजनाओं हेतु स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि अभिकरण मुख्यालय द्वारा आपके जनपद को इस निर्देश के साथ अवमुक्त की गयी है कि अवमुक्त धनराशि के उपभोग के उपरान्त वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण, सत्यापन आख्या एवं फोटोग्राफ सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय से अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध करायें ताकि उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत शासन को द्वितीय किश्त की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जा सकें।

इस संबंध में एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29.12.2017 तक यह अवगत कराना सुनिश्चित करें कि योजनान्तर्गत शासनादेशवार/परियोजनावार द्वितीय किश्त हेतु आपके जनपद को कितनी धनराशि की आवश्यकता है? उक्त सूचना अभिकरण मुख्यालय की ई–मेल pmusuda@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। सूचना समयान्तर्गत प्राप्त न होने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि आपके जनपद को उक्त योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त की आवश्यकता नहीं है।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक – तदैव
प्रतिलिपि :–जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, समस्त जनपद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक